कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा (छ0ग0)

Phone No. 07856-252364, Email ID : deo.officedantewada@gmail.com

क्रमांक/3656/अशास./मान्य.नवीनी./जि.शि.अ./2025, दन्तेवाड़ा, दिनांक - 27/11/2025

प्रति,

प्रबंधक/प्राचार्य,
डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल किरन्दूल,
विकासखण्ड - कुआकोण्ड़ा।
जिला - दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा (छ.ग.)।

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19, के प्रयोजन के लिए नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण विषयक।

-::00::-

उपरोक्त विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ2-39/2019/20-दो, नवा रायपुर दिनांक 09.09.2022 प्रदत्त अधिकारों के तहत एवं शिक्षा संहिता के अध्याय-3 नियम 32.33 बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिये बच्चों को निःशुल्क कानून के नियम 11 के उपनियम (4) के तहत विद्यालय का नोडल अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अशासकीय शिक्षण संस्था - **डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल किरन्दूल, वि.ख. कुआकोण्डा,** (यू डाईस कोड - **22161921002**) को कक्षा **केजी 1 से कक्षा 12वीं** तक **अंग्रेजी माध्यम** (सी.बी.एस.ई. बोर्ड के अंतर्गत) सत्र 2025-26 हेतु 01 शिक्षासत्र के लिए अस्थाई मान्यता/विभागीय अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन दिया जाता है।

मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्तें

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नही है और किसी भी प्रकार से कक्षा 8वीं के बाद की मान्यता से संबंधित नही है।
2. विद्यालय, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय का संचालन लाभ नही हानि नही (No Loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
4. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
5. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में, साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नही करेगा।
6. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
7. विद्यालय/समिति फीस वृद्धि निर्धारण हेतु छ.ग. शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन/अधिसूचना के अंतर्गत ही कर सकेंगे।
8. संस्था हेतु गठित समिति की वर्तमान सत्र के नवीनीकरण (धारा 27 एवं 28) की प्रति से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।
9. प्रबंध कार्यकारिणी समिति में संयुक्त संचालक शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दो शासकीय सदस्य का नामांकन कर अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत करें एवं अधोहस्ताक्षर कर्ता को अवगत करावें।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिए निम्नलिखित अंधोसंरचना होना अनिवार्य है :-
    - विद्यालय का भवन में प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक-पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।

- खेल का मैदान।
- प्राचार्य/प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिए पृथक-पृथक कक्ष।
- स्टाफ, छात्र, छात्राओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था।
- कक्षा स्तर अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
- शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र।
- बाधारहित पहुंच मार्ग, आदि।
- क्रीड़ा, खेलकूद के उपकरणों/पुस्तकालय/प्रयोगशाला की पृथक-पृथक उपलब्धता।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित होगा।
12. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण/ऑडिट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी होगी।
13. आपके विद्यालय का यू डाईस - 22161921002 को पत्राचार के लिए उपयोग करें।
14. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग.शासन एवं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय/संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकारिणी की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गए हों।
15. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन/नवीनीकरण होना आवश्यक है।
16. जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य का सावधी जमा करना अनिवार्य होगा।
17. विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नही करने की स्थिति में संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/वि.ख.शिक्षा अधिकारी को 03 माह पूर्व लिखित में कारण सहित संसूचित करने होंगे।
18. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।
19. छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

पृ0क्रमांक/3656/अशास./मान्य.नवीनी./जि.शि.अ./2025,	दन्तेवाड़ा, दिनांक - 22/11/2025

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा को सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर, जगदलपुर को सादर सूचनार्थ।
4. विकास खण्ड अधिकारी, विकासखण्ड......................, जिला द.ब.दन्तेवाडा को सूचनार्थ।
5. नोडल प्राचार्य, ... को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा